न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 45/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
एफबीओ मैसर्स—शिव फ्लोर मील, गिलाडी रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री अनुराग कुमार जैन
एफबीओ मैसर्स—श्री बाहुबली ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी बांदीकुई, जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं 1 व 2 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 11.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि दिनांक 29.11.2016 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स— शिव फ्लोर मील, गिलाडी रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान/मील पर करीबन 20 प्लास्टिक कट्टो में पैक चना दाल (चेतक ब्राण्ड) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, जिसे विक्रेता ने बेसन बनाने के काम में लेना बताया जिसे आम जनता को बेचना बताया। प्रत्येक कट्टे में 50 किलोग्राम चना दाल होना बताया, में मिलावट का शक होने पर एक पैक कट्टे को खोलकर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 4 किलोग्राम चना दाल (चेतक ब्राण्ड) नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 520 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है। विक्रेता ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस न होना जाहिर किया।

यह है कि खरीदशुदा चना दाल (चेतक ब्राण्ड) को चार प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर डालकर डिब्बो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को चना दाल (चेतक

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

ब्राण्ड) के डिब्बो पर चिपकाकर डिब्बो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1537 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 30.11.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बा व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.11.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 1.12.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ चना दाल (चेतक ब्राण्ड) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3495/एक्ट/2016/1167 दिनांक 15.12.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चना दाल (चेतक ब्राण्ड) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ चना दाल (चेतक ब्राण्ड) में हमारे द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। फिर भी पैक माल में यदि किसी भी प्रकार की कोई मिलावट पायी जाती है तो कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3495/एक्ट/2016/1167 दिनांक 15.12.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चना दाल (चेतक ब्राण्ड) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ चना दाल (चेतक ब्राण्ड) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता एफबीओ मैसर्स–शिव फ्लोर मील, गिलाडी रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा पर 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं0 2 श्री अनुराग कुमार जैन एफबीओ मैसर्स–श्री बाहुबली ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी बांदीकुई, जिला दौसा पर 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.7.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/10150-53
दिनांकः–11.7.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
   एफबीओ मैसर्स–शिव फ्लोर मील, गिलाडी रोड, गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री अनुराग कुमार जैन
   एफबीओ मैसर्स–श्री बाहुबली ट्रेडिंग कम्पनी, माधोगंज मण्डी बांदीकुई, जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा